भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पर तैयार मौसदा नियम

चर्चा में क्यों ?

- मसौदा भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2022, के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) को विभिन्न स्थलों को 'भू-विरासत' मूल्य के रूप में घोषित करने की शक्ति देता है।
- **उद्देश्य--** भारत की भूवैज्ञानिक विरासत की रक्षा करना, जिसमें जीवाश्म, तलछटी चट्टानें, प्राकृतिक संरचनाएं शामिल हैं।

भू-विरासत स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक- 2022

- यह विधेयक, बुनियादी ढांचे या औद्योगिक विकास के उद्देश्य से इनमें से किसी भी क्षेत्र को गैर-अधिसूचित घोषित करने का निर्णय लेने के लिए, कार्यपालिका को पूर्ण शक्तियों के साथ सशक्त बनाता है।
- संभावित भू-विरासत महत्व वाले क्षेत्रों में, खासकर बड़े पैमाने पर अनियमित औद्योगिक गतिविधियों के मद्देनजर, विधेयक के महत्व और तात्कालिकता को अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा स्वीकारा गया है।
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) द्वारा , समृद्ध भूवैज्ञानिक विरासत वाले 32 स्थलों को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के बारे में

- GSI केंद्र सरकार का एक संगठन है जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना एवं खनिज संसाधन मूल्यांकन को बनाने और अद्यतन करने की जिम्मेदारी दी गई है।
- यह भविष्य में, भू-विरासत स्थलों को अधिसूचित करने के उद्देश्य से बिल, भूमि अधिग्रहण: उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार, **पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम- 2013** के तहत भूमि अधिग्रहण की परिकल्पना भी करता है।

- विधेयक- 2022 के प्रावधान के तहत इसे 'भू-विरासत' मूल्य वाले स्थलों को घोषित करने की शक्ति है, जो अवशेष (जीवाश्म, चट्टानें) निजी हाथों में हैं, उन्हें अपने कब्जे में लेने, ऐसे स्थल के चारों ओर 100 मीटर के निर्माण पर रोक लगाने, दंडित करने -तक के जुर्माने के साथ 5 लाख रू. और संभवतः कारावास का अधिकार दिया गया है।
- 2019 में, **भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी और सोसाइटी ऑफ़ अर्थ साइंसेज** नामक एक समूह ने एक व्यापक-आधारित राष्ट्रीय भू-विरासत प्राधिकरण स्थापित करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जो राज्य सरकारों को संरक्षण पर सलाह देगा, भू-विरासत पार्कों की स्थापना का निर्णय लेगा।
- GSI के 32 भू-विरासत स्थलों में ; स्ट्रोमेटोलाइट फॉसिल पार्क, झारमार्कोट्रा रॉक फॉस्फेट डिपॉजिट, उदयपुर जिला, अकाल फॉसिल वुड पार्क, जैसलमेर शामिल हैं, लेकिन कई जीर्णता के चरणों में हैं।

स्त्रोत – द हिन्दू

GST मुआवजे में देरी

चर्चा में क्यों ?

- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा महालेखाकार के प्रमाणित प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता के कारण कुछ राज्यों को GST मुआवजे में देरी की घोषणा की गयी।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार के बजाय GST परिषद यह तय करती है कि GST मुआवजा किसे जारी किया जाना है।
- "महालेखाकार का प्रमाणीकरण केंद्र, राज्यों और महालेखाकार के बीच कानून द्वारा (अनिवार्य) एक सहमत प्रक्रिया है।"
- अगर महालेखाकार का प्रमाणीकरण प्राप्त करने में कोई देरी होती है, तो महालेखाकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा इसे मिलकर सुलझाना होगा इसमें केंद्र की कोई भूमिका नही होगी।
- केरल का उल्लेख करते हुए,वित्त मंत्री ने कहा कि GST लागू होने के बाद, दक्षिणी राज्यों ने 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 के लिए जीएसटी मुआवजे के लिए महालेखाकार प्रमाण-पत्र नहीं भेजा है।
- इसके विपरीत तमिलनाडु के लिए 2020-21 का महालेखाकार का प्रमाणित आंकड़ा लगभग 4,223 करोड़ रुपये है, भले ही कुछ विवाद हैं, किन्तु इसे संसाधित किया गया है और इसे मंजूरी दे दी जाएगी।
- मई, 2022 तक सभी राज्य, जिनके लिए जून की शुरुआत में भुगतान किया जाता है, प्रत्येक राशि को मंजूरी दे दी गई है जो सार्वजनिक निधि में उपलब्ध है। दी गई कुल राशि 86,912 करोड़ रुपये है जो 31 मई, 2022 तक जारी की गई थी।

- **GST क्या है?**
- यह वस्तु एवं सेवा के अंतिम उत्पाद पर लगने वाला एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्य में जोड़ पर लगाया जाएगा।

GST में 3 प्रकार के टैक्स होते हैं :

- CGST: जहाँ केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।
- SGST: राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।
- IGST: जहाँ अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।

GST परिषद

- संविधान के अनुच्छेद – 279A (4) के अनुसार, परिषद GST से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगी, जैसे- वस्तु और सेवाएं, जिन्हें जीएसटी के अधीन या छूट दी जा सकती है ।

  स्रोत -IET

परिसीमन आयोग

चर्चा में क्यों?

- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग के गठन एवं इसके अध्यक्ष के कार्यकाल के विस्तार को बरकरार रखा है और नए केंद्रशासित प्रदेश में निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से समायोजित करने के लिए जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के गठन की चुनौती को खारिज कर दिया।

संवैधानिक परिप्रेक्ष्य

- संविधान के **अनुच्छेद 2 और 3** संसद को नए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बनाने में सक्षम बनाते हैं। तदनुसार, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत दो नए केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। परिसीमन अधिनियम, 2002 परिसीमन आयोग को निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन की भूमिका सौंपता है।
- **अनुच्छेद 3** के तहत बनाया गया कानून हमेशा नवगठित राज्यों या संघ में निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन के लिए शक्ति प्रदान करता है।
- **परिसीमन** –इसका शाब्दिक अर्थ है किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की प्रक्रिया। परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है। ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है।

- **अनुच्छेद 82 –** प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी के द्वारा या फिर ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जिसे संसद, विधि द्वारा अवधारित करती है।
- संविधान के अनुच्छेद 170 ने 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन अभ्यास पर रोक लगा दी थी। इसे 2001 की जनगणना के आधार पर होना है।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती क्यों नहीं दी गई?

- परिसीमन प्रक्रिया ने "वन नेशन, वन कॉन्स्टिट्यूशन" के "नए आदेश" को चुनौती दी है। 2021 की अधिसूचना में परिसीमन के लिए जम्मू और कश्मीर को "अलग" क्यों किया गया था। इससे पहले केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना पी. देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।

परिसीमन पैनल के अंतिम मसौदे से जम्मू-कश्मीर नाखुश क्यों ?

- सरकार ने विरोध किया था कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन करने के लिए दो वैकल्पिक तंत्र थे। धारा 60-61 के आधार पर परिसीमन निर्धारित करने की शक्ति चुनाव आयोग को प्रदान की गई थी, जबकि धारा 62(2) और 62(3) ने परिसीमन आयोग को परिसीमन करने की शक्ति प्रदान की गयी।

स्त्रोत– द हिन्दू

एयरो इंडिया शो

चर्चा में क्यों ?

- बेंगलुरु में एयरो इंडिया शो के 14वें संस्करण के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच सालों में भारत का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ गया है और यह अपने निर्यात में 1.5 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है।

एक्सपो- एयरो इंडिया के बारे में

- द्विवार्षिक एक्सपो-एयरो इंडिया में भारत के रक्षा निर्यात को 2024-25 तक 1.5 अरब डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- यह न केवल रक्षा उद्योग के दायरे को प्रदर्शित करता है, बल्कि भारत के आत्मविश्वास को भी दर्शाता है।
- एयरो इंडिया शो के तहत "भारत सबसे बड़े रक्षा विनिर्माण देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम उठाएगा और हमारे निजी क्षेत्र एवं निवेशक इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे।"

- इस वर्ष के एक्सपो में 800 से अधिक देशों के साथ-साथ 800 रक्षा कंपनियों की भागीदारी है, जिसमें लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियां शामिल हैं।
- इसके तहत आत्मनिर्भरता में भारत की सफलताओं में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) और विमानवाहक पोत INS विक्रांत का उल्लेख किया। "21वीं सदी का नया भारत न तो कोई अवसर गंवाएगा और न ही इसमें किसी प्रयास की कमी होगी।"
- इनमें उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारों की स्थापना; औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं का सरलीकरण; रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा में वृद्धि; निजी क्षेत्र के लिए सरकारी परीक्षण और परीक्षण सुविधाएं खोलना शामिल हैं।
- बजट 2023-24 में रक्षा के लिए पूंजी परिव्यय में वृद्धि और रक्षा उत्कृष्टता के लिए प्रौद्योगिकी विकास कोष एवं नवाचारों का शुभारंभ पर बल दिया जायेगा।

स्त्रोत-द हिन्दू

हैजा रोग

चर्चा में क्यों?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, अफ्रीकी महाद्वीप में इस दशक के सबसे खराब हैजा संकट को देखने की संभावना है, जो चरम मौसमी घटनाओं और खराब जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढाँचे से प्रेरित है।

हैजा रोग के बारे में:

- यह एक जानलेवा संक्रामक रोग और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है।
- यह जीवाणु विब्रियो हैजा के साथ आंत के संक्रमण के कारण होने वाली एक तीव्र, अतिसारीय बीमारी है।
- **लक्षण:** अत्यधिक पानीदार दस्त, उल्टी, पैर में ऐंठन आदि।
- यह पानी या भोजन के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है जो हैजा जीवाणु से दूषित होता है।
- सीवेज और पीने के पानी के अपर्याप्त उपचार वाले क्षेत्रों में यह रोग तेजी से फैल सकता है।
- वर्तमान में, तीन WHO प्री-क्वालिफाइड ओरल हैजा वैक्सीन (OCV), Dukoral, Shanchol,और Euvichol-Plus हैं। सभी तीन टीकों को पूर्ण सुरक्षा के लिए दो खुराक की आवश्यकता होती है।

स्त्रोत –DTE